(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.–205 / 2012 जीसीएमएस नम्बर :– 2012 / 00129

1. राजबाला पत्नी सुमेरसिंह
2. महेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह

} जाति जाट निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.

..................वादीगण

बनाम

1. भंवरी बाई पुत्री सुगनसिंह
2. अंगुरी बाई पुत्री सुगनसिंह
3. सन्तोष बाई पुत्री सुगनसिंह
4. जसवन्त सिंह पुत्र सुगन सिंह

} जाति राजपुत नि. बुहाना, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.

5. सतीश पुत्र प्रभाती लाल जाति महाजन निवासी बुहाना, झुन्झुनूं राज.
6. भोलाराम पुत्र सुलतान जाति अहीर नि. कलाखरी, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
7. राजेन्द्र पुत्र रामकुमार जाति महाजन निवासी ब्रह्मचारी रोड़ महेन्द्रगढ हरि.
8. बिल्लुराम पुत्र रामजीलाल जाति अहीर नि. मालड़ा तह. व जिला महेन्द्रगढ हरि.
9. नरेशसिंह पुत्र रोहताशसिंह
10. भंवरी पत्नी रोताशसिंह
11. बबीता पत्नी नरेशसिंह जाति राजपुत नि. बुहाना, बुहाना, झुन्झुनूं राज.
12. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान

..................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

वाद – खाता विभाजन

राजस्व वाद संख्या 21 / 2014

1. नरेशसिंह पुत्र रोहताशसिंह
2. भंवरी पत्नी रोताशसिंह
3. बबीता पत्नी नरेशसिंह

} जाति राजपुत नि. बुहाना, बुहाना, झुन्झुनूं राज.

4. भोलाराम पुत्र सुलतान जाति अहीर नि. कलाखरी, बुहाना, झुन्झुनूं राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

....................वादीगण

बनाम

1. भंवरी बाई पुत्री सुगनसिंह
2. अंगुरी बाई पुत्री सुगनसिंह
3. सन्तोष बाई पुत्री सुगनसिंह } जाति राजपुत नि. बुहाना, तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
4. सतीश पुत्र प्रभाती लाल जाति महाजन निवासी बुहाना, झुन्झुनूं राज.
5. कुलदीप पुत्र कृष्णदत जाति अहीर निवासी चांगरोड़ तह. चरखी दादरी, भिवानी हरि.
6. महेन्द्र सिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति जाट निवासी बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं राज.
7. औमप्रकाश पुत्र चिरंजी लाल जाति अहीर निवासी सोहली तह. बुहाना, झुन्झुनूं राज.
8. जसवन्त सिंह पुत्र सुगन सिंह
9. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनूं राजस्थान

.......प्रतिवादीगण

दोनो वाद समान विषय वस्तु, समान पक्षकार, के मध्य समान अनुतोष को लेकर है। दोनो पत्रावली 21/2014 को 205/2012 के साथ समेकित की गई है। अतः इस आदेश द्वारा उपर्युक्त दोनों दावो का निर्णय किया जा रहा है। एक–एक प्रति दोनो पत्रावलीयों में रखी जावे।

<u>–:निर्णय (संशोधित):–</u>

दिनांक:– 4/3/2025

<u>राजस्व वाद सं. 205/2012</u>

(1) वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित हाल ख. नं. 2283 रकबा 0.33 है. मे वादी सं. 1 का 0.1723 है. रकबा (1723 वर्ग मीटर) है वादी सं. 2 का 9/200 हिस्सा है।
2. वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि ख. नं. 2298/2 रकबा 0.10 है., ख. नं. 2313 रकबा 0.47 है. किता 2 कुल रकबा 0.57 है. में वादी सं. 2 का 9/200 हिस्सा है।
3. वादी सं. 1 व 2 एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 11 का मौके पर अलग–अलग भूमि खेत बनाकर कब्जा है। वादीगण का अपने हिस्सा के रकबा पर भूमि ख. नं. 2283 रकबा 0.33 है. पर कब्जा है वादी सं. 1 का 0.1723 है. रकबा है वादी सं. 2 का कुल 0.0405 है. रकबा है।
4. वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त खाता होने के कारण वादीगण को अपने हिस्से की भूमि का सुधार कार्य करने में परेशानी होती है अतः वादी विधिक बंटवारा करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित हाल ख. नं. 2283 रकबा 0.33 है. ख. नं. 2313 रकबा 0.47 है. ख. नं. 2298/2 रकबा 0.10 है., मैं वादी सं. 1 के 0.1723 है. (1723 वर्ग मीटर) हिस्सा तथा वादी सं. 2 के 9/200 हिस्सा का खाता अलग से विभाजित कर लगान भी अलग से कायम किया जाने की कृपा करे।

---

(2). दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 व 7 लगायत 11 बावजुद की सम्यक् तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं. 6 की ओर से श्री छाजुराम एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया । इनके द्वारा जवाब नहीं पेश किया गया। इनका जवाब बंद किया गया।

(3). वादीगण द्वारा साक्ष्य दस्तावेज में नकल नक्शा ट्रेस, नकल जमाबंदी 2066–69 पेश किये गए।

(4). **दोनो वाद समान विषय वस्तु , विवादक, समान पक्षकारों के मध्य समान अनुतोष को लेकर होने से वाद सं. 21/2014 को 205/2012 के साथ समेकित किया गया। आगे जहॉ कही वादी प्रतिवादी लिखा जावे उसका अर्थ वाद सं. 205/2012 के पक्षकारों के अनुसार लगाया जावे।**

(5). बहस सुनी गई।

(6). पत्रावली दिनांक 12.05.2016 को प्राथमिक डिक्री जारी तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु लिखा गया। इसी मध्य पक्षकारान के द्वारा एक प्रार्थना पत्र 152 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.05.2016 में भूलवंश कुछ खसरा नम्बर अंकित करने से रह गया इसलिए इनको जोड़ा जावें। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा पुनः संशोधित प्राथमिक डिक्री करने आदेश दिये गये। इसी दौरान दिनांक 12.07.2022 को एक अन्य प्रार्थना पत्र वादी/प्रतिवादी ने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वाद वर्णित भूमि का वर्तमान सेग्रीसेशन में खसरा नम्बर 2763/2314, खसरा नम्बर 2764/2314 किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 3507/2298, खसरा नम्बर 2313 किता 2 कुल रकबा 0.57 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 2283 रकबा 0.33 हैक्टर बन गये है इसलिए संशोधित प्राथमिक डिक्री इन नम्बरो से जारी करने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र सुना गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय प्राथमिक डिक्री में संशोधन दिनांक 15.06.2022 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 256 दिनांक 12.08.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2629 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए प्राप्त पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम बुहाना स्थित भूमि हाल खाता संख्या 634, 1716, 1005 में वाद पक्षकारान के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित हाल खाता संख्या 1716 के खसरा नम्बर 2763/2314, खसरा नम्बर 2764/2314 किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टर तथा खाता संख्या 634 के खसरा नम्बर 3507/2298, खसरा नम्बर 2313 किता 2 कुल रकबा 0.57 हैक्टर व खाता संख्या 1005 के खसरा नम्बर 2283 किता 1 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि में वाद पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 4/3/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 205 / 2012 बउनवानी राजबाला बनाम भंवरी बाई आदि
राजस्व वाद सं.– 21 / 2014 बउनवानी नरेश सिंह बनाम भंवरी बाई आदि

दावा खाता विभाजन

–: निर्णय (संशोधित) :–

वादीगण की ओर से **श्री राजेश यादव एडवोकेट** एवं वादी / प्रतिवादीगण **की ओर से श्री नरेश भारद्वाज एडवोकेट / श्री छाजुराम एडोकेट** की उपस्थिती व शेष **प्रतिवादीगण** की अनुपस्थिती में इस वाद को सुमन देवी II **उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद में खाता एवं लगान विभाजन करना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम बुहाना तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं स्थित हाल खाता संख्या 1716 के खसरा नम्बर 2763 / 2314, खसरा नम्बर 2764 / 2314 किता 2 कुल रकबा 1.56 हैक्टर तथा खाता संख्या 634 के खसरा नम्बर 3507 / 2298, खसरा नम्बर 2313 किता 2 कुल रकबा 0.57 हैक्टर व खाता संख्या 1005 के खसरा नम्बर 2283 किता 1 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि में वाद पक्षकारान का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–4" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "
खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 4/3/2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.04.03 11:34:18 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)